मीडिया-लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय सुरक्षा

-शिवाजी त्रिपाठी

मीडिया जन समूह तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का एक माध्यम है। यह संचार का सरल एवं सक्षम माध्यम है। सामान्यत: मीडिया संचार के विभिन्न साधनों यथा-टेलीवीजन, रेडियों, अखबार और न्यूज चैनल आदि के रूप में प्रचलित हैं। हालांकि इसका लोकप्रिय रूप में प्रयोग न्यूज रिपोर्टिंग के संदर्भ में किया जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, ऐसा मानना तर्कपूर्ण भी है, क्योंकि जनता को विभिन्न मुद्दों के लिए प्रशिक्षित करना एवं मानवाधिकारों, वंचित वर्गों की आवाज को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका लोकतंत्र के अन्य तीन स्तंभों की भांति ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में मीडिया की स्वतंत्रता ही उसकी निष्पक्षता एवं लोकतंत्र को सशक्त करने के उसके कर्त्तव्य को सुनिश्चित कर सकती है। इस प्रकार मीडिया की स्वतंत्रता निष्पक्षता एवं लोकतंत्र की मजबूती एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भी यह स्वतंत्रता किसी सीमा तक विस्तारित हो? अथवा यह कहीं देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता के लिए चुनौती न खड़ी कर दे, इसको निर्धारित करना भी उतना ही आवश्यक है। हाल ही में सरकार के द्वारा एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल पर एक दिन के बैन के निर्णय ने, जिसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डालने को कारण बताया गया। इस बहस को जन्म दिया है कि मीडिया-लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या संतुलन होना चाहिए? इस मुद्दे को हम अपने लेख में विभिन्न बिंदुओं के तहत समझने का प्रयास करेंगे तथा साथ ही इस मुद्दे से जुड़ी कुछ तथ्यात्मक जानकारियों को भी जानेंगे।

मीडिया की लोकतंत्र एवं समाज के प्रति भूमिका

भारतीय लोकतंत्र का एक बहुलवादी चरित्र है, जिसके तहत भारत में विभिन्न जातीय, नृजातीय, जनजातीय समूह निवास करते हैं तथा जिनके अपने भिन्न-भिन्न, रीति-रिवाज, तौर-तरीके है। ऐसे में सभी वर्गों की जरूरते अलग-अलग होती हैं, ऐसे में कई बार उनकी स्वयं के अधिकारों की मांग के लिए उठायी गयी आवाज अथवा मांगे सरकार/राज्य तक पहुंच नहीं पाती और यही से मीडिया(प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया) की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखने के लिए ऐसे वंचित तबकों की आवाज बनें।

मीडिया को नवीन विश्व की नवीन समस्याओं यथा-पर्यावरणीय चेतना, विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों आदि को तो उठाना होगा ही किंतु साथ ही में परम्परागत लेकिन नजरंदाज सामाजिक मुद्दो यथा-महिलाओं, दलितों के शोषण आदि को भी मुख्यधारा में लाकर चर्चा के लिए रखना होगा। अत: हम यह भी कह सकते हैं कि मीडिया को सामाजिक सशक्तीकरण कर लोकतंत्र को मजबूत करना होगा।

मीडिया की सीमा क्या हो?

लोकतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार तो देता है, लेकिन इस व्यवस्था में अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य भी चलते रहते हैं। लोकतंत्र अधिकार और कर्तव्य में असंतुलन की इजाजत नहीं देता। फिर मीडिया पर तो लोकतंत्र की पहरेदारी का भी जिम्मा है, जिससे उसे इस गंभीर दायित्व को अपनी स्वतंत्रता का आनन्द लेते हुए भी ध्यान में रखना होगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) यह प्रावधान देता है कि कोई स्वतंत्रता परिपूर्ण नहीं है, इस पर युक्त-युक्त निर्बंधन होते हैं। ऐसे में मीडिया की स्वतंत्रता निर्बाध नहीं है। इसको देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था अथवा लोक व्यवस्था के अंतर्गत सीमित होनी चाहिए।

किंतु मुख्य प्रश्न यह है कि इस सीमा का निर्धारण ऊपरी रूप से किया जाना चाहिए अथवा यह स्वप्रेरित होनी चाहिए? अगर हम लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर खोजे तो हम पाएंगे कि नियमन का बाहर से ज्यादा स्वनिर्धारित रूप ही प्रभावी होता है। ऐसे में स्वनियमन ही बेहतर तरीका हो सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में 'Self Regulation is most effective Regulation' से भी इसे समझा जा सकता है।

इसी को देखते हुए 2007 में जे.एस. वर्मा समिति की अनुशंसा पर इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा स्वानियमन हेतु दो संस्थाऐं बनायी गई- (i) ब्राडकॉस्ट एडिटर्स एसोसिएशन (BEA) (ii) न्यूज ब्राडकॉस्ट स्टैडर्डस एसोसिएशन (NBSA)। इन संस्थाओं के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यूज चैनल पर ऐसी कोई भी सामग्री ब्राडकॉस्ट न हो, जो देखने एवं प्रसारित करने योग्य न हो। इस हेतु दोनों संस्थाओं ने स्वंय एक प्रणाली भी विकसित की। इन संस्थाओं के अतिरिक्त 'प्रोग्राम कोड ऑफ केबल टीवी मेकेनिज्म रूल, 1994' कानून भी है, जो ब्रॉडकॉस्टिंग हेतु कुछ गाइडलाइन निर्धारित करता है।

मीडिया की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा

'' मैं इस बात का बुरा नहीं मानता कि अखबार अपनी नीति के मुताबिक किसी खास तरह की खबरों को तरजीह दें, लेकिन मैं खबरों को दबाए जाने के खिलाफ हूं क्योंकि इससे दुनिया की घटनाओं के बारे में सही राय बनाने का एक मात्र साधन जनता से छिन जाता है।''

जवाहर लाल नेहरू का लेख

(25 अगस्त 1936, बांबे क्रानिकल)

जवाहरलाल नेहरू का यह लेख हालांकि स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सेंसरशिप के खिलाफ था, किंतु मुद्दा तब भी मीडिया की स्वतंत्रता को तत्कालीन राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दबाना ही था। पिछले सप्ताह ही हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक पुरस्कार समारोह में कहा कि हमें आपातकाल में लगायी गई सेंशरशिप के घाव ध्यान में रखने होंगे, कि कहीं कोई सरकार इसे फिर से न दोहरा दे। रोचक बात यह है कि इसके अगले दिन सरकार ने 'NDTV' पर राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विशेषीकृत गोपनीय सूचनाओं (Classified & Secret Information) को प्रसारित करने को लेकर एक दिन का बैन लगा दिया।

इस बैन का आधार जो बताया गया वह था राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह बैन उचित लगता है, किंतु इस निर्णय को लेकर उठे विरोध में कुछ प्रश्न सामने आए और वे हैं-

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है और यह कौन निर्धारित करेगा?

(ii) जब NBSA जैसे संस्थान इसकी जांच के लिए ही बना है तो स्वयं सरकार ने ही क्यों निर्णय ले लिया?

किसी ने सही ही कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में पूरा देश हितधारक होता है। ऐसे में मात्र सरकार को यह निर्धारित करना ठीक होगा या नहीं? राज्य को ऐसे मुद्दों पर एक पक्षीय संवाद से बढ़कर द्विपक्षीय संवाद को अपनाना चाहिए जिससे एक संतुलित एवं लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप निर्णय लिया जा सके। ऊपर उठाया गया दूसरा प्रश्न ज्यादा प्रासंगिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि न्यूज ब्राडकॉस्ट स्टैंडर्ड एसोसिएसन का गठन इसीलिए किया गया था। इस संस्था का कार्य है कि यदि कोई ऐसा मामला आता है, जो गलत अथवा अनैतिक ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ा है तो यह संस्था पक्ष-विपक्ष सुनता है तथा दोषी पाए जाने पर 1 लाख तक जुर्माना लगा सकता है एवं जरूरी लगे तो सरकार को संबंधित चैनल को बैन करने या लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश कर सकता है।

किंतु वर्तमान NDTV मामले में सरकार ने इस संस्था से विचार-विमर्श तक नहीं किया एवं सीधे अंतरमंत्रालयी निर्णय के द्वारा यह फैसला ले लिया है। हालांकि चैनल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने तक चौतरफा विरोध को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय वापस ले लिया। इस सबके बावजूद मीडिया की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस अभी भी बनी हुई है और यह आगे तब तक रहेगी जब तक दोनों पक्ष इसमें अपनी जिम्मेदारी एवं दायित्व के साथ-साथ अपनी सीमा को नहीं पहचान लेते।

इलेक्ट्रानिक मीडिया के बैन से जुड़े मुख्य तथ्य

- अभी तक मात्र एक ही न्यूज चैनल 'लाइव इंडिया' पर ही बैन लगाया गया है।
- इस बैन का आधार राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं था।
- NDTV न्यूज चैनल पर यह पहली बार बैन लगाने का आदेश था। इससे पहले NDTV के मनोरंजन चैनल पर 'अश्लील सामग्री' प्रसारित करने पर बैन लगाया गया था।
- Program Code of Cable TV Mechanism Rule 1994 के पैरा 6 के तहत आतंकवादी हमले की लाइव कवरेज गैरकानूनी है। हमले के बाद की करवरेज गैरकानूनी नहीं है।

निष्कर्ष

मीडिया को केवल हम लताड़ दे, इससे बात नहीं बनने वाली मीडिया को अपनी कार्यप्रणाली में लगातार ऐसी नजर बनाए रखने की जरूरत है कि वह अब समाज की आवाज बन सके। मीडिया को स्वमेव अपनी भूमिका पर सोंचने की आवश्यकता है।

भारतीय लोकतंत्र और मीडिया के कॉर्पोरेटाइजेशन में कैसे संतुलन स्थापित किया जाए यह चुनौती आज हमारे सामने है। साथ ही सरकार के साथ मीडिया के टकराव को लेकर भी एक आम राय बनानी होगी। NDTV प्रकरण पर ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने ऐसा किसी रणनीति के तहत संपूर्ण मीडिया को एक पेनाल्टीकार्ड दिखाया हो जिससे मीडिया सामाजिक एंव राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपनी जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता को लेकर आत्ममंथन कर सके। इस प्रकरण से मीडिया की नैतिकता एवं उसकी लोकतंत्र में भूमिका तथा उसमें सरकार के संबंधों को लेकर एक सार्थक बहस शुरू हो सकेगी, जिससे हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा। ■

प्रश्न

'मीडिया की स्वतंत्रता जितनी जरूरी है उतना ही उसका राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होना भी जरूरी है।' इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए?